



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील - इंदौर
जिला - इंदौर, मध्यप्रदेश

(अन्य पिछड़े वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

प्रकरण क्रमांक 134/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र

दिनांक : 08/09/2014

प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/439/0106/1855/2014

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री उत्कर्ष यादव पुत्र श्री श्री अशोक कुमार यादव (पिता) एवं श्रीमती श्रीमति नितेश यादव (माता) नगर इंदौर (ननि) पार्ट, तहसील इंदौर, जिला इंदौर मध्यप्रदेश अहीर जाति के हैं, यह जाति राज्य के लिए अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति में अधिसूचित सूची में अनुक्रमांक 1 निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984.
2. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997.
3. इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री उत्कर्ष यादव क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञान क्रमांक एफ 7-26-93-1-आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ सलग्न परिशिष्ट (ई) की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री उत्कर्ष यादव के परिवार की कुल वार्षिक आय उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र/सक्षम प्राधिकारी / नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के आधार पर रुपये 100000.00 हैं।

4. श्री श्री उत्कर्ष यादव पुत्र श्री श्री अशोक कुमार यादव सामान्यतः (Ordinarily) नगर इंदौर (ननि) पार्ट, तहसील इंदौर, जिला इंदौर (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं।

स्थान : इंदौर

दिनांक : 08/09/2014

आधार नंबर :

समय नं :



तहसील - इंदौर

(Signature)

अनुपमा निनामा

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository [www.mpedistrict.gov.in](http://mpedistrict.gov.in) से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
2. यह प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
3. प्रमाण पत्र को सत्यापन पंजीयन क्र RS/439/0106/1855/2014 के द्वारा वेबसाइट <http://mpedistrict.gov.in> के माध्यम से किया जा सकता है।